HRA an USIUA The Gazette of India

असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

i∘ 256]No. 256]

नई दिल्ली, मंगलबार, जून 25, 1985/आषाढ़ 4, 1907

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 1985/ASADHA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 जून, 1985

ग्रधिसूचना

ग्राय-कर

सा. का. नि. 508 (म्र).—भारत सरकार ग्रौर सीरियाई ग्ररब गणराज्य सरकार के बीच दोहरे कराधान का परिवर्जन ग्रौर राज्य वित्तिय ग्रपवंचन का निवारण करने के लिए ग्राय पर कर की बाबत उपाबद्ध करार दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा ग्रधिसूचित किए जाने पर इस गर्त पर प्रवृत्त हो गया है कि दोनों राज्य उक्त करार के ग्रनुच्छेद 29 द्वारा ग्रपेक्षित के ग्रनुसार ग्रपना-ग्रपना विधियों द्वारा ग्रपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करेंगे।

ग्रत:, केन्द्र य सरकार, ग्राय-कर ग्रिबिनियम, 1961 (1961 का 43) क धारा 90 ग्रीर कंपनः (लाभ) ग्रितिकर ग्रिबिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करले हुए, निदेश देत है कि उक्त करार के सभः उपबंध भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

भारतीय गणराज्य की सरकार और

सीरियाई अरब गणराज्य की सरकार के बीच

आा पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्ब अपवंचन को रोकने के लिए

करार

भारत य गणराज्य की सरकार श्रीर संरियाई ग्ररब गणराज्य की सरकार, ग्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार ग्रीर राजस्व ग्रपवंचन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने क इच्छा से, नंचे लिखे ग्रनुसार सहमत हुई हैं:

ग्रध्याय I

करार का विषय-क्षेत्र

ग्रनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किस एक ग्रथा दोनों मंत्रिदाकार राज्यों के निवास हैं।

ग्रनुच्छेद 2

करार के श्रंतर्गत श्राने वाले कर

- 1. यह करार जिन करों पर लागू होगा वे हैं :
- (क) भारत के मामले में.
- (1) ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 क. 43) के ग्रधंन लगाया गया ग्रायकर जिसमें ग्राय-कर पर कोई ग्रधिभार भी शामिल है,
- (2) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया गया अतिकर, (जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है);
- (ख) संतिरयाई ग्रस्ब गणराज्य के मामले में : विधायः डिका 1949 को संख्या 85 ग्रीर इसके संशोधनों द्वारा लगाया गाया ग्राय-कर (जिसे इसके बाद "संरियाई कर" कहा गया है)।

2 यह करार किसों भी समरूप ग्रथवा सारतः इस. तरह के उन करों पर भा लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख के पश्चाप् इस ग्रनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के ग्रतिरिक्त ग्रथवा उनके स्थान पर दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये जायेंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकार, उनके ग्रपने ग्रपने कराधान कानूनों में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हों उनके संबंध में एक दूसरे की सुचित करेंगे ।

> ग्रध्याय II परिभाषाएं

म्रनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

- 1. इस करार में जब तक संदर्भ में ग्रन्यथा ग्रपेक्षित नही हो :
- (क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है, भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उनके ऊपर का आकाण क्षेत्र तथा राज्य क्षत्रोय सागर-खंड, महाद्वेपीय सग्न तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 80) में उल्लिखित कोई भा अन्य समुद्री क्षेत्र णामिल है, जिसमें भारत के सार्वभाम अधिकार हों और जिम सामा तक उनमें इन अधिकारों का उस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, मानों वह समुद्री क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र का हा एक अंग हो;
- (ख) "स रिया" णब्द से अभिप्रेत है सी निया का राज्य क्षेत्र और उसमें इसका निकटवर्ती प्रादेशिक समृद्र तथा उसके ऊपर का स्राकाण, क्षेत्र शामिल है ;
- (ग) ''एक संविदाकार' राज्य'' श्रौर ''दूसरे संविदाकार' राज्य''
 शब्दों से, संदर्भ के अपेक्षा के श्रनुसार, भारत श्रथवा स रिया श्रभिष्रेत है;
- (ग) "कर" णब्द से, सदर्भ के प्रमुक्ता के प्रमुसार, भारतीय कर प्राथवा संरियाई कर ग्राभिप्रेत है: परन्तु इसमें ऐसं, कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के सबध में किस चूक प्रथवा भूल के संदर्भ में देय हो जिन पर यह करार लागू होता हो ग्रथवा उन करों के संबंध में लगाया गया ग्रथंदण्ड हो ;
- (ङ) "व्यक्ति" शब्द में व्यष्टि, कपना ग्रीर ऐसे, कोई भं ग्रन्य सत्ता शामिल है, जो अलग-ग्रलग मंविदाकारी राज्यों में लाग्

- कराधात कानूनों के श्रंतर्गत कर लगने योग्य इकाई मार्न जातः है ;
- (च) "कंपनी" शब्द से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिन्नेत है, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लागू कराबान कानृनों के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में मानी जाती है:
- (छ) ''एक सविदाकारें राज्य का उद्यम" तथा ''दूमरेस विदाकारें। राज्य का उद्यम" जब्दों से क्रमश : एक मंविदाकारें। राज्य के किसा निवास द्वारा संचालित उद्यम श्रीर दूमरे मंविदाकारें। राज्य के निवासों द्वारा मंचालित उद्यम श्रीभप्रेत है :
- (ज) भारत के मामले में ''सक्षम प्राधिकारं।" गब्दों से अभिप्रेत है, केन्द्रीय मरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि; और स रिया के मामले में विक्त मंत्रालय अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (झ) ''राष्ट्रिक'' गब्द में, किमा संविद्याकार, राज्य का राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति श्रौर कोई भा कानून, ब्यक्ति सहभागिता अथवा संस्था, जो सविद्याकार। राज्य में प्रवृत्त कानून से अपना हैसियत प्राप्त करता हो, अभिप्रेत है ।
- 2. एक मंविदाकारा राज्य दवारा इस कारार के उपबन्धों के प्रवर्तन में, किसी शब्द का, जो वहां अन्यथा परिभाषित नहीं हो, संदर्भ का अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वहीं अर्थ होगा जो उस राज्य में लागू उन पर कानूनों के श्रेतर्गत होता हो जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवास

- 1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, ''किसा संविदाकारः राज्य का तिवासं।'' शब्द से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर उस राज्य के कानून के ग्रंतर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रवंध के स्थान अथवा इस। प्रकार के किसं। अस्य मानदण्ड के कारण वहां पर कर लगने योग्य है।
- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों स्वित्तकार। राज्यों का निवासों हो, तो उस स्थिति में इस करार के प्रयोजनों के लिए उसक, निवासीय हैसियत निम्निलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी —
 - (क) वह उस मंविदाकार राज्य का निवास माना जाएगा जिसमें उसे कोई स्थाय निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों मंविदाकारो राज्यों में कोई स्थायीं विनास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस मंविदाकार राज्य का निवास माना जाएगा जिस राज्य के साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक मंबंध धनिष्टतर हैं (जिसका उल्लेख इसके बाद उसके "महत्वपूर्ण हितों के केन्द्र" के रूप में किया जाएगा)
 - (ख) यदि उस मंविदाकार राज्य का निश्चय नहीं किया जा सकता हो, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, अथवा यदि उसे किसा भ. संविदाकार राज्य में कोई निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस सविदाकार राज्य का निवास माना जाएगा जिसमें वह स्वभावतः रहता हो;
 - (ग) यदि वह स्वभावतः दोनों हः सविदाकार राज्यों में रहता है, अथवा उनमें से किस में भ नहीं रहता है तो वह उस संविदाकार राज्य का निवास माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;
 - (घ) यदि वह दोनों हं संविदाकार राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किस का भ राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकार राज्यों के सक्षम प्राधिकार पारस्परिक सहमति दवारा इस प्रज्ञन का निर्णय करेगे।

3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों संविदाकार। राज्यों का निवास। हो तो वह उस संविदाकार। राज्य का निवास। माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

ग्रनुच्छद 5

स्थायः संस्थापन

- 1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थान" शब्दो से कारोबार का वह निश्चित स्थान ग्रिभिप्रेत है जहां से उद्यम का कारोबार संपूर्णनः ग्रथवा ग्रंशत: चलाया जाता है।
- "स्थायः संस्थापन" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) प्रबंध का स्थान ;
 - (ख) शाखा;
 - (ग) कार्यालय;
 - (घ) कारखाना;
 - (४) कर्मशाला;
 - (च) खान, खदान, तेल-क्षेत्र अथवा प्राकृतिक समाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
 - (छ) फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, बन, बागवान, अथवा तत्संबंधे, कार्य किये जाते हैं ;
 - (ज) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधिन्त पर्यवेक्षा कार्य, जहां इस प्रकार का स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्षा कार्य बारह महानों से अधिक का अविध के लिए चालु रहते हों !
- 3. इस ग्रनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भ., "स्थायं। संस्था-पन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :
 - (क) उद्यम के माल ग्रथवा पण्यों के केवल भण्डारण, प्रदर्शन ग्रथवा सुपुर्देगी के प्रयोजनार्थ सुविधाग्रों का प्रयोग ;
 - (ख) उद्यम के माल ग्रथवा पण्यों का केवल भण्डारण, प्रदर्शन ग्रथवा सुपुर्दगोः के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना ;
 - (ग) अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टाक रखना ;
 - (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों का केवल कय करने अथवा मूचना इकट्ठी करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान रखना;
 - (ङ) उद्यम के व्यापार प्रथवा कारोबार के संबंध में विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, सूचना देने प्रथवा ऐसे वैज्ञानिक प्रनुसंधान कार्यों के लिये जो प्रारम्भिक प्रथवा सहायक किस्म के हों, कारोबार का नियत स्थान रखना ।
- 4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भा जहां किसा स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तथा, किसा संविदाकारो राज्य में, उस उद्यम के लिए अथवा उसका ओर से संविदाएं संपन्न करने के लिए प्राधिकार का प्रायः प्रयोग करता हो, वहां, उन कार्यों के संबंध में जिन्हें वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को गितिविधियां उद्यम के लिए माल अथवा पण्य खरीदने तक सीमित नहीं हों।

- 5. किसी संविदाकार। राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकार। राज्य में माल, इस कारण से स्थायं। संस्थापन नहीं माना जायगा कि वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किस। दलाल, सामान्य कमं।शन एजेंट प्रथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किस। ग्रन्थ एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति ग्रपने कारोबार का काम समान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन जब इस प्रकार के एजेंट के क्रियाकलाप उस उद्यम को ग्रोर से पूर्णरूप से अथवा लगभग पूर्णरूप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के ग्रथं के ग्रंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा।
- 6. मात्र इस तथ्य से कि कोई कंपनं।, जो किसो एक संविदाकार। राज्य का निवासां हो, किसा ऐसा कंपना को नियंत्रित करते। है श्रथवा उससे नियंत्रित होता है, जो दूसरे संविदाकारो राज्य की निवासी हो, श्रथवा जा उस दूसरे संविदाकारो राज्य में (किसो स्थायो संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) अपना कारोबार करते। हो, इनमें से कोई भी कंपन। खुद किसी दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन सकती।।
- 7. एक संविदाकार। राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकार। राज्य में उस स्थिति में कोई स्थाय। संस्थापन माना जायगा जब वह कोई ऐसा कारोबार करता हो जिसमें उस दूसरे संविदाकार। राज्य में लोक मनोरंजन-कर्ताग्रों (जैसे कि थियेटर, चल-चित्र, रेडियो ग्रथवा दूरदर्शन कलाकार ग्रौर संगोतकार) ग्रथवा खिलाड़ियों की सेवाग्रों की व्यवस्था करना शामिल हो, जब तक कि ऐसे उद्यम को प्रत्यक्ष रूप में ग्रथवा ग्रप्रत्यक्ष रूप में, इस प्रकार को सेवाग्रों की व्यवस्था करने के संबंध में प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य को सरकार को लोक-निधियों से पूर्णत: ग्रथवा पर्याप्तत: सहायता प्राप्त नहीं होती हो :

ग्रध्याय III

म्राय पर कराधान

ग्रनुच्छेद 6

ग्रचल संपत्ति से ग्राय

- ग्रचल संपत्ति से ग्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो ।
- 2. "प्रचल संपत्ति" शब्दों के। परिभाषा उस संविदाकारं। राज्य कं। विधि और व्यवहार के अनुसार की जायगी जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी। भी हालत में यह शामिल होंगे—अचल संपत्ति के अपसाधन के रूप में संपत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पूर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, तेल-कृपों, खदानों, तथा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के अन्य स्थानों के संचालन-अधिकार के प्रति फल के रूप में परिवर्तनाय अथवा नियत अदायिगों के अधिकार । पोत तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंध ग्रचल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर देने ग्रथवा किसी ग्रन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली ग्राय पर लागू होंगे।
- 4. पैराम्राफ 1 और 3 के उपबंध किसं। उद्यम को म्रचल संपत्ति से होने वाली म्राय तथा व्यावसायिक सेवाम्रों के निष्पादन के लिए इस्ते-माल में म्राने वाली म्रचल संपत्ति से होने वाली भ्राय पर भी लागू होंगे।

ग्रनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

एक संविदाकार। राज्य के उद्यम के लाभ केवल उसी संविदाकार.
 राज्य में करादेय होंगे । तथापि, यदि उद्यम, दूसरे संविदारी राज्य में

स्थित किस। स्थायी संस्थापन के माध्यम से वहां कारोबार कर रहा हो तो उद्यम के लाभों पर उस दूसरे संविदाकरो राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु कर केवल उतने हा लाभों पर लगाया जा सकेगा जो उस स्थायो संस्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं। इससे, प्रथमोल्लिखित संविदाकारो राज्य द्वारा स्रपने कर कानूनों के अनुसार ऐसे लाभों पर कर लगाये जाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- 2. जहां एक संविदाकारों राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारों राज्य में, वहां स्थित किसों स्थायों संस्थापन के माध्यम से, कारोबार करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारों राज्य में उस स्थायों संस्थापन के कारण उसकों उन लामों का होन माना जाएगा जिनके प्राप्त होने के तब ग्रपेक्षा रहता है, जब वह, उन्हीं ग्रथवा वैसी हो परिस्थितियों के ग्रधान, उन्हीं ग्रथवा वैसी हो कार्यों में लगा हुग्रा स्वतंत्र तथा ग्रलग उद्यम होता, ग्रौर जिस उद्यम का वह स्थायों संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता होता। जहां स्थायों संस्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों की सहं रकम निर्धारित नहीं की जा सकतं. हो ग्रथवा उसका निर्धारण करना बहुत हो कठिन हो, तो स्थायों संस्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों का ग्रमुमान उपयुक्त ग्राधार पर लगाया जा सकेगा।
- 3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभो के निर्धारण में उन यथोचित व्ययों की कटौतियों की स्वीकृति दी जायग़ी, जो स्थायी संस्थापन के कारबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्न।
- 4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी संस्थापन ने, उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी हैं।
- 5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिये, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक, उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा प्रयोध्न कारण नहीं हो ।
- 6. जहाँ आय अथवा लाभों में आय की वे मर्दे शामिल हों, जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद ८

विमान परिवहन

- 1. संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से प्रान्त लाभों पर कर केवल उस सविदाकारी राज्य में ही लगाया जायगा, जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान (अर्थात् प्रधान कार्यालय) स्थित है ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा अंतर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लने से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से होने वाले लाभों के भाग पर भी लागू होंगे ।
- 3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से संबंद्ध निधियों पर ब्याज को, ऐसे विमान के संचालन से होने बाले लामों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध इस प्रकार के ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगें।
- 4. "विमान संचालन" शब्दों का अर्थ होगा, विमान के मालिकों अथवा पट्टेंदारों अथवा विकेताओं (चार्टरर्स) द्वारा वायुयान के जिर्ये किया जाने वाला व्यक्तियों तथा उनके समान, पशु-धन, माल अथवा डाक

का परिवहन, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटं की विकी, वायुयान की आकस्मिक पट्टेदारी तथा इस प्रकार के परिवहः से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अन्य कोई भो कार्यकलाप णामिल है ।

जनुच्छेद 9 जहाजरानी

- 1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात व पोतों के संचालन से प्राप्त लामों पर कर केवन उस संविदाकारी राज्य के ही लगाया जायगा, जिसमें उद्यम का प्रमावा प्रबंध का स्थान (अर्थात प्रधान कार्यालय) स्थित हैं।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंब, सिवदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वार किसी पूल, संयुक्त कारोबार अववा अंतर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भार रेने से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से होने वाले लाभों वे भाग पर भी लागू होंगे ।
- 3. पैराग्राफ 1, तटवर्ती यानाचात के परिणागतः उत्पन हो। वाले लाभों पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 10

सहयोगी उद्यम

जहां :

- (क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य जिद्यम के प्रबंध, नियन्त्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षत: अथव अप्रत्यक्षत: भाग लेता है, अथवा
- (ख) वे हो व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के और दूस संविदाकारो राज्य के उद्यम के प्रबंध नियन्त्रण अथवा पूंजी प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

अोर दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणि धिक अथवा वित्तीय मंबंधों में ऐसी शर्ने रखी अथवा लगाई जाती हैं, उ वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वा ऐसे कोई भी लाभ जो, इन शर्तों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यम में से एक को प्राप्त हुए होते, किन्तु इन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलत किये जा सकेंगे और इ पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 11

लाभांश

- एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविद कारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये लाभांग, प्रथमोल्लिख संविदाकारी राज्य में कराधेय नहीं होंगे।
- 2. इस अनुच्छेद मे यथाप्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय है शेय अथवा अन्य अधिकारों से, जो ऋण-दावे न हों, प्राप्त आय जो लाभ शामिल हों, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त उस आय से है र शेयरों अथवा किसी अन्य मद से प्राप्त आय में समाहित हों, जो उस रा के कराधान कानून द्वारा किसी कंपनी का लाभांश अथवा वितरण मा जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि लाभां प्राप्तकर्ता, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, ऐसे अ संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांण अदा करने वाली कंपनी निवा हों, उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिये कोई कारोब करता हो अथवा उस अन्य राज्य स्थित किसी निश्चित आधार से उस स्वतंव निजी सेवायें करता हो और वह धारणाधिकार, जिसके संबंध लाभांशों की अदायगी की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चि

आधार से प्रभावी रूप से संबंद्ध हो। इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद ७ अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

4. जहां कोई ऐसी कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा उन व्यक्तियों को दिये गये लाभांकों पर, जो उस दूसरे राज्य के निवासी निही हैं, कोई कर निहीं लगायेगा अथवा कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ-कर की किस्म का कोई कर निहीं लागयेगा, चाहे दिया गया लाभांका अथवा अवितरित लाभ, पूर्णत: अथवा अंकत: उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 12

ब्या ज

- एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदा-कारी राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
- 2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य मे भी जिसमें वह अर्जित होता है, और उस राज्य के कानून के अनुसार, कर लगाया जाएगा, किन्तु इस प्रकार लगाये जाने वाले कर की रकम ब्याज की सकल रकम के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- 3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण को, उस दूसरे संविदाकार राज्य के सैण्ट्रल बैंक अथवा उस सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के, पूर्ण स्वामित्व वाली किसी एजेंसी को प्रदत्त व्याज पर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट दी जायेगी। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमित से किसी भी अन्य सरकारी संस्था को निर्धारित कर सकते हैं, जिस पर यह पैराग्राफ लागू होगा।
- 4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से सरकारी प्रतिभूतियो बंध-पत्नों अथवा ऋण-पत्नों, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उनको लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हों, अथवा नहीं, और हर प्रकार के ऋणदावों से प्राप्त आय, और साथ ही अन्य ऐसी सभी आय से अभिप्राय है, जो जिस संविदाकारी राज्य में अाय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार उधार दिये गये धन से प्राप्त आय में समाविष्ट की गई हो।
- 5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज प्राप्तकर्ता, जो कि एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार चलाता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से उस में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवायें करता हों, और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप में सम्बद्ध हो। इस प्रकार के मामलों में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।
- 6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उद्मूत हुआ तब माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का निवासी हो । किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले ब्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी, हो अथवा निहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिममें वह स्थायी संस्थापन स्थित है।
- 7. जहां, ब्याज अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच, अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के

कारण, ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को थ्यान मे रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से वढ़ जाती है, जिसके लिए इम प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्त-कर्ता के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णि। रकम पर ही लागू होंगे। उस मामले में, अदा की गयी रकम के अधिक भाग गर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकरी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 13 के प्रयोजनार्थ, भारत के मामले में "सरकार" पद मे कोई भी राज्य सरकार ग्रामिल होगी।

अनुच्छेद 13

रायल्टियां

- 1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदा-कारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायिलिटयों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. तथापि, ऐसी रायित्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायित्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायित्टयां" शब्द से साहित्यिक, कला-त्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियो (जिनमें चल-चित्र-फित्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में तथा टेप शामिल हैं), कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मुला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगिधिकार के प्रतिफल के रूप में, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए प्रयोगिधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिष्रेत है।
- 4 पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यदि रायिल्टयों का प्रत्नकर्ता, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायिल्टयां उद्भूत होती हैं, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार चलाता है अथवा उसमें स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवायें करता है और जिस अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में रायिल्टयों अदा की गई हों, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्ध हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15, जैसा भी माला हों, के उपबंध लागू होंगे।
- 5. संविदाकारी राज्य में रायिल्ट्यां उद्भूत हुई तब मानी जाएंगी, जब रायिल्ट्यां अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायिल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य निवासी हो अथवा निहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार है, जिसके संबंध में रायिल्ट्यां अदा करने की देनदारी उठायी गई थी, और इस प्रकार की रायःल्ट्यां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार हारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायिल्ट्यां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेगी, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार स्थित है।
- 6 जहां, रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी रायिल्टियों की रकम, उसके पैसे इस्तेमाल, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिये वे रायिल्टियां अदा की जाती हैं, उम रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार का संबंध निहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमिति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्य में उल्लि-

खित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, अदा की गई रकमों के अधिक भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक सैविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 1.1

पूंजीगत अभिलाभ

- 1. अचल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ, जैसे कि अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में परिताषित हैं, उस सिवदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।
- 2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से, जो उस स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति का एक भाग हो जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, अथवा एक संविदाकारी राज्य में स्थित हो, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयिक्तक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति का भाग हो, प्राप्त अभिलाभों पर, जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के सम्थ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थान के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ भी शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- 3. पैरागराफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक मंत्रिदाकारी राज्य के किसी उदमय द्वारा ऐसे जलपोतों अथवा वायुयानों के अंतरण से, जिन्हें ऐसा उद्यम अंतर्राष्ट्रीय यातायात के अंतर्गत परिचालित करता है तथा इस प्रकार के जलपोतों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल-संपत्ति से प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।
- 4 एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पराग्राफ 1. 2 तथा 3 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किमी भी मंपत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।
- 5. "अन्तरण" ग्रब्द का अर्थ संपत्ति का विकय, विनिमय, अन्तरण अथवा त्याग अथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अथवा अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत उसका अनिवार्य अधिग्रहण है ।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

एक संविदाकार राज्य के किसी निवासी द्वारा वृत्ति संबंधी सेवाओं अथवा उसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा, जब तक कि:--

- (क) अपने कार्यंकलापों के निष्पादन के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो ; उस मामले में, उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा मकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भृत हुई मार्ना जा सकती हो ; अथवा
- (ख) वह संगत "पूर्व वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसा भी मामला ह्यों, कुल 183 दिन से अधिक की अवधि-अथवा अवधियों के लिए, अपने कार्यकलापों के प्रयोजनों के निमित्त, दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित रहा हों एसी स्थिती में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में किये गये कार्यकलापों के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हों।
- 2. "वृत्ति संबंधी सेवाएं" शब्द में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक शैक्षिणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्मकों शत्यचिकित्सको, वर्वालों, इंजीनियरों, वाम्तुकारों, दंत-चिकित्मको तथा लखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

पराश्चित वैयक्तिक सेवाएं

- 1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवामी को नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मंजूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग मकेगा, जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया हो, तो। उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।
- 2 पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही लग मकेगा, यदि :——
 - (क) प्राप्तकर्ता संगत 'पूर्व वर्ष'' अथवा "आय वर्ष'' में, जैसी भी ' स्थिति हों, कुल 183 दिन से अनिधक की अविध अथवा अविधियों के लिए दुसरे राज्य मे मोजूद रहा है, और
 - (ख) पारिश्रमिक की अदायकी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई क्षा, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
 - (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा बहन किया गया हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में हैं।
- 3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय याता-यात में जलपौत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उम संविदाकारी राज्य में लग सकेगा, जिसमे उस उद्यम को प्रभावी प्रबंध व्यवस्था है।

अनुच्छेद 17

निदेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अदायिगयों पर, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 18

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजन कर्ताओं (जैसे थियेटर, चल-चित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार) अथवा खिल डियों को अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें ऐसे कार्य गये हों :

परन्तु ऐसी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा, यदि लोक मनोरंजन-कर्ताओं अथवा खिलाड़ियों को उस राज्य की यात्रा का ब्यय प्रत्यक्षनः अथवा अप्रत्यक्षनन दूसरे सविदाकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णत: अथवा पर्याप्तत: बहन किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "सरकार" शब्द में दोनो संविदा-कारी राज्यों में से किसी भी सविदाकारी राज्य का कोई स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकरण और भारत के भामने में कोई राज्य सरकार भी सम्मिलित मानी जाएगी।

अनुच्छेद 19

भरकारी कार्य

- 1. एक संविदाकारी राज्य की मरकार द्वारा, किसी भी ऐमे व्यक्ति की, जो उस राज्य का नागरिक है, दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकारी कार्य करने के लिए की गई मेवाओं के संबंध मे अदा किये गये पारिश्रमिक पर जो पेंशन नहीं है) कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में शिलगेगा।
- 2. किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जो दोनों में से किसी भी मंविदाकारी राज्य का नागारिक है, अदा की गई किसी भी पेंशन पर कर उसी मंविदाकारी राज्य मे लगग्या जा मकेगा, जो पेंशन दे रहा हो।
- 3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंघ किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में की गई सेवाओं से संबंधित पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू नहीं होंगे।
- 4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "सरकार" शब्द में दोनों संविदा-कारी राज्यों का कोई भी स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकारी और विशेष रूप से, भारतीय रिजर्व वैंक और सैण्ट्रल बैंक आंफ सीरिया शामिल होंगे। भारत के मामले में इसमें कोई राज्य सरकार भी जामिल होंगी।

अनुच्छेद 20

गैर-सरकारी पेंशन एवम् वार्षिकियां

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे मंत्रिदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त की जा रही किसी भी पेशन (अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न) अथवा वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।
- 2. "पेंशन" जब्द का अर्थ उस नियतकालिक भुगतान से है जो विगत में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान जारीरिक चाटो की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जाता हो।
- 3. "वार्षिकी" जब्द का अर्थ उस उल्लिखित राण से है जो धन अथवा धन के मूल्य के पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए अदायिगयां करने के किसी दायित्व कि अधीन, जीवनपर्यन्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चेय समयाविध के दौरान उल्लिखित समय पर साविधक तीर पर देय होगी।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थी और प्रशिक्ष

- 1. विद्यार्थी अथवा व्यवसाय-प्रणिक्षु को, जो एक संविदाकारी राज्य में जाने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में अनन्य म्प से अपनी णिक्षा अथवा प्रणिक्षण के उद्देश्य के लिए उपस्थित है, उसे प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में निम्निलिखित के बारे में कर से छूट प्राप्त होगी:—
 - (क) उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य से बःहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए उसको किये गये भुगतान , और
 - (ख) उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, नियोजन से प्राप्त परिलब्धि जो 15,000 म. अथवा सीरिया की मुद्रा में उसकी समतुल्य राग्नि से अधिक न हो, वशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययनों से सर्वधित हो, अथवा उसके भरण-पोषण के उद्देश्य से ग्रहण किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त होने वाले लाभों को केवल ऐसी समयावधि के लिए दिया जाएगा जो सम्बद्ध गिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए यथाचित रूप से अथवा व्यावहारिक रूप से आवश्यक हों, परन्तु इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त लाभ किसी व्यक्ति को थमोलिलखित संविदाकारी राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीच ो अगले लगातार पांच वर्षों की अवधि से अधिक समय के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद 22

प्राध्यापक तथा अध्यापक

- 1. कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अथवा किसी अनुमोदित शिक्षण संस्थान में अध्यापन अथवा शोधकार्य करने अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए उस संविदाकारी राज्य का दीरा करता है, और जो ऐसे दौरे के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवास है अथवा था, उसे ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त होने वाली किन्हीं परिलब्धियों पर उस संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से 12 माह से अनिधक की अवधि के लिये कर से छूट प्राप्त होगी!
- 2. यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मुख्य रूप से किसीं विणिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभों के लिए किया जाता है।
- 3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए और अनुच्छेद 21 के प्रयोजन के लिए भी कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यिद वह "पूर्ववर्ती वर्ष" में अथवा "आय के वर्ष" में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा तुरन्त पहले के "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय के वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो।
- 4. पैराग्राफ 1 के उद्देश्यों के लिए, "अनुमोदित संस्थान का अर्थ उस संस्थान से है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो ।

अनुच्छेद 23

आय जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की अध्य की जिन मदों का, जहां कहीं भी उद्भूत द्वाती हो, इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर केवल उमी राज्य मे कर लगाया जाएगा।

अध्याय IV

दोहरे कराधान के अपाकरण की विधियां

अनुच्छेद 21

दोहरे कराधःन का अगकरण

- दोनो संविदाकारी राज्यों में अपने-अपने यहां के प्रचलित क.नून, अध्यकर कराधान पर लागू होते रहेंगे, उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां इस करार के अंतर्गत इसके विपरीत प्रावधान किये जाये।
- 2. जहां भारत के किसी निवासी बारा प्राप्त अप गर, इस करार के उपबंधों के अनुसार, सीरिया में कर लगाया जाएगा, भारत में उस निवासी की आय पर लगाये गए कर से उननी रकम की कटौती वी जाएगी. जो कि सीरिया में प्रत्यक्षता या कटौती बारा अदा किये गए आयकर की रकम के बरावर होगी। लेकिन, ऐसी कटौती, भारतीय कर (इस प्रकार की कटौती दिये जाने से पूर्व यथासंगणित) के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय से प्राप्त हुआ माना जाएगा जिस पर सीरिया में कर लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, जहां इस प्रकार की निवासी कोई कंपनी ही, जिसने भारत मे अतिकर अदा करना है, वहां उपर्यक्त

कटौर्ता प्रथम बार कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर से की जाएगी और शेप रकम की कटौती, यदि कोई हों, तो उसके द्वारा भारत में अदा किये जाने वाले अतिकर से की जाएगी।

- 3. उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित कटौती के प्रयोजन के लिए "सीरिया में अदा किये गये आयकर" में ऐसी कोई भी रकम शामिल समझी जाएगी, जिसे सीरियाई कर के रूप में अदा किया जाता, यदि निम्नलिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए कर योग्य आय की संगणना में कटौती या कर से छूट अथवा घटौती स्वीकृत नहीं की जाती:——
 - (1) नयी परियोजनाम्रों को दी जाने वाली छूट के संबंध में 1952 की विधायी डिकी 103 अथवा विकास परियोजनाम्रों में कार्यरत ठेकेदारों को कार्य-निष्पादन की अविध में राहत देने से संबंधित 1959 की विधि मं. 44 के अनुच्छेद 9, जहां तक उपर्युक्त विधायी डिकी तथा अनुच्छेद लागू हैं, तथा जहां इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख में अब तक जिनमें संशोधन नहीं किया गया है, अथवा जिनमें केवल बहुत ही मामूली संशोधन किये गए हैं, जिनके फलस्वरूप इनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो; अथवा
 - (2) कोई अन्य उपबन्ध जो कि मार्च, 1982 के पांचवें दिन के पण्चात् अधिनियम् किया जाएगा, जिसके अनुसार कर योग्य आय की संगणना में कटौती या कर से छूट अथवा उसमें घटौती की जाएगी, जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हो कि वह आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए होगा, यदि बाद में उसमें संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उसमें ऐसे मामूली संशोधन किये गए हों, जिनके फलस्वरूप उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।
- 4. "जहां सीरिया के किसी निवासी की आय, जिम पर इस करार के उपबंधों के अनुसार, भारत में कर लगाया जाएगा, उस निवासी की आय के संबंध में सीरिया कर की उननी कटौती देगा जो कि भारत में प्रत्यक्षतः या कटौती ढारा अदा किये गए आयकर की रकम के बरावर होगी। लेकिन, इस प्रकार की कटौती, सीरियाई कर (ऐसी कटौती दिये जाने में पूर्व यथा संगणित) के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय में प्राप्त हुआ माना जाएगा, जिस पर भारत में कर लगाया जाएगा।
- 5. पैरा 4 में उल्लिखित कटौती के प्रयोजनों के लिए, "भारत में अदा किये गए आयकर" में कोई भी ऐसी रकम शामिल समझी जाएगी, जो भारतीय कर के रूप में देय होती, यदि निम्नतिखित के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए कर योग्य आय की संगणना में कटौती अथवा कोई छट अथवा कटौती स्वीकृत नहीं की गई होती:—
 - (1) आयकर अधिनियम 1961 (1961का 43) की धारा 10(4) 10(4क), 10(6) (VIIक), 10(15) VI, 10(28), 10क, 32क. 33क. 35ब. 54इ. 80जज, 80जज के, 80-झ और 80-ठे, जहां तक कि वे इप करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीन को लागू थी और उक्त तारीख के बाद से उनमें कोई संजोधन नहीं हुआ है, अथवा केवल ऐसे माम्ली संजोधन हुए हों, जिनके फलस्वस्प उनके सामान्य स्वास्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो; अथवा
 - (2) कोई अन्य उपबन्ध, जो कि मार्च, 1982 के पांचवें दिन के पण्चात् अधिनियमित किया जाएगा, जिसके अनुसार कर गोम्य आय की संगणना में कटीती या कर छूट अथवा उसमें घटौती की जाएगी, जिसके बारे में संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हो कि वह अर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए होगा. यदि बाद में उसमें संणोधन नही किया गया हो

अथवा उसरों ऐसं मामूली संशोधन किये गए हों, जिनवे फलस्वरूप उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़त हो।

6. जहां इस करार के अन्तर्गत, एक मंविदाकारी राज्य के किर्स निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय के संबंध में उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, तो प्रथमोल्लिखित संविदाकार राज्य, उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की बही दर लागू करेगा, जो इस करार के अनुसार कर से छूट दी गई आय को, छूट नहीं दिये जाने की स्थित में लागू होती।

अध्याय V

विशेष उपसंध अनुच्छेद 25 सम-व्यवहार

- 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लाग्नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं हे भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उम दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों प्रवैसी ही परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।
- 2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संदिकारी राज्य के स्थित स्थायी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उम दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उम दूसरे राज्य के वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लगाय जाता है।
- 3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी वात का यह अर्थ नहीं लगाय जायेगा कि वह एक संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के अनिवासी व्यक्तियों को, कराधान के प्रयोजनों के लिये कोई ऐसी वैयक्तिक छूटें राहते, तथा घरौतियां प्रदान करने के लिये बाध्य करता है, जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यक्तियों को ही उपलब्ध हैं।
- 4 एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अयवा ग्रंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अयवा एक मे अबिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंवण में है, प्रथमो- िल्लिखिन संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लाग् नहीं की जायगी जो उस कराधान ग्रौर तत्संबंधी अपेक्षाग्रों से मिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो जो उस प्रथमोत्लिखित राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।
- 5. इस अनुष्क्रीद में "कराधान" णब्द-ाद का अर्थ वे कर हैं जो इस करार के विषय हैं।

अवुच्छेर 26

पारस्परिक करार कर्ण-विधि

1. जहां किसी संविद्याकारी राज्य ता कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविद्याकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उप पर जो कर जमा है अथवा लगाया जाएगा, वह इस समझोंते के के अनुरूप गही है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानुनों द्वारा उपवंजित उपवारों के होने हुए भी अपना सम्बन्धा उस सविद्याकारी राज्य के नक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर नकता है, जिसका वह निवासी है। यह मामला उस कार्य की सूवना की प्राप्ति की तारीख में तीन वर्षों के अन्दर अवज्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिसके कारण इस करार के उपवज्यों के अनुरूप कर नहीं लगाया गया है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को अपित्त उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुस्य नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी करार को कार्यान्वित किया आएगा चाहे संविद्यकारी राज्यों के राष्ट्रीय बानुनों में कोई भी समय-सीमा वयों न हीं।

3. इम करार की व्याख्या करने अथवा इमे लाम करने में यदि कोई किट्नाइमा अथवा जंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी उन्हें पारम्परिक महमति में हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामणों में दाहरे कराधान के अपाकरण के लिए परम्पर विचार-विमर्ग कर सकते हैं, जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं है।

। पूर्वोक्त पैराप्राको के अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थं संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक-दूसरे के नाथ सीधं पत्र-व्यवहार कर सकते है। सहमति होने में जब विचारों का मौखिक आवान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के साज्यम से किये जा सकते हैं. जिसमें संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों ने प्रतिनिधि हो।

अनुन्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेंने जो इस करार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उन करों के अपवंचन को रोकने के लिए अथवा उन करों के अपवंचन को रोकने के लिए अथवा उन करों के अपवंचन को रोकने के लिए अथवा क्या है, इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचता अथवा दस्तावेज को गुंन रामझा जाएगा, लेकिन उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें स्वायालय अथवा अन्य प्राधिकार, शामिल हैं) प्रकट किया जा संकेगा, जो उन करों के निर्धारण, बसूली, प्रवर्तन, जाँच-पहनाल अथवा अभियोजन से संबंधित हों, जो इस करार के विषय हैं, अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा संकेगा, जिनमें सूचना अथवा दस्तावेज का संबंध हो।

2 मुचना अथया दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेर्मा आधार पर होगा अथवा विशेष मामलों के मदर्भ में अनुरोध पर या दोनों ही प्रकार में किया जा सकेगा। नेर्मा आधार पर दी जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की मूची के मंत्रंध में मंबिदाकारी राज्यों के मुझम प्राप्तिकारियों की ममय-समय पर महमति आवश्यक होर्मी।

3 किसी भी स्थिति में गैराग्राफ 1 के उपबक्षों का बह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी सविदाकारी राज्य पर किस्तलिखित भार डाला जाए :—

- (अ) एक अथवा दूसरे संविदातारी राज्य को विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना .
- (ख) ऐसी सुचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा दसरे मंत्रिदाकारी राज्य की विधियों के अस्तर्गत अथवा प्रणासन की मामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है.
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिस्से व्यापारिक, व्याव-मायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी ऐसा कोई गुप्त भेद अथवा व्यापारिक-प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होता हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकृत हो।

अनुच्छेद 28

राजनियक तथा कौसली कार्य

इस करार में सिहित किसी व्यवस्था का अस्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्भा अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अस्तर्गत राजनियक 380 GI/85—2 अथवा कोसली अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याग VI

अन्तिम उपबंध

अनुच्छेद 29

प्रवर्तन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य, इस करार को लागू करने के लिए उसके कन्नूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा किये जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिमुचित करेगा। यह करार, इन अधिमुचनाओं में से बाद की अधिमुचना की नारीख में लागू होगा और उसके बाद —

- (क) भारत में -
- (1) वायुयान परिचालन मे उत्पन्न आय के मामले में (अनुष्केद 8 में उत्लिखित) जो कि अप्रैल, 1975 के प्रथम दिन के पश्चाल इस प्रकार के लाभों के संबंध में उत्पन्न हुई हो;
- (2) किसी भी अन्य आय के सामले में, जो कि अप्रैल, 1983 के प्रथम दिन को अथवा के पश्चान आरम्भ किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में हो।
- (ख) मीरिया में :---
- (1) वायुयान परिचालन से उत्पन्न आय पर लाभ के मामले में (अनुच्छेद १ में उल्लिखिन), जो कि अप्रैल, 1975 के प्रथम दिन के पण्चात् इस प्रकार के लाभों से प्राप्त हुई हो;
- (2) किसी भी अन्य आय के मामले में, जो कि अनवरी, 1983 के प्रथम दिन को अथवा के पण्चात् आरम्भ किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के मंबंध में हो।

अनुच्छेद ३०

समाप्ति

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में मे कोई भी राज्य, इसके लागू होने की तारी **स से पाँच वर्षों** की अवधि के समाप्त होने के बाद आरम्भ होने वाले किसी भी कलेण्डर वर्ष में जून के तीमवे दिन को अथवा उससे पहले दूसरे सविदाकारी राज्य को, राजनिथिक माध्यमों से समाप्ति का लिखित नोटिस रे सकेगा और वैसी स्थित में यह करार:—

- (क) भारत में, जिस कलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, जसके अगले परवर्ती दूसरे कलेण्डर वर्ष में, और परवर्ती वर्षों में, अप्रैल के प्रथम दिन को झुरू होने वाले किसो कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर-निर्धारण योग्य आय के बारे में;
- (स्र) मीरिया में, जिस कलेण्डर वर्ष को समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती दूसरे कलेण्डर वर्ष में और परवर्ती वर्षों में, पहली जनवरी को आरम्भ होने वाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिये कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साध्य में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अक्षीहस्ताक्षरीयों इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

The second of th

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नी मौ चौरामी के फरवरी मास के छठे दिन को अरबी. हिन्दी तथा अग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में किये गरे, मभी पाठ समानतः प्रामाणिक है। तीनों पाठो में स्तिता होने की स्थिति मे. अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह/-

हा/~

(प्रणव मखर्जी) भारत गणराज्य को सरकार की ओर मे (झा. हमदी अल-साका) मीरिया गणराज्य की सरकार की आर से

[फा. स 501/1/75-एफ टी.डी.] एम एस. नारायणन, अपर सविव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th June, 1985

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 508(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of India and the Government of the Syrian Arab Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has entered into force on the notification by both the Contracting States to each other of completion of the procedures required by their respective laws, as required by Article 29 of the said Agreement:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBIC

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Syrian Arab Republic ---

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income:

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

- 1. The taxes to which this Agreement shall apply are:
 - (a) In the case of India:
 - (1) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (2) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964); (hereinafter referred to as "Indian tax")
 - (b) In the case of the Syrian Arab Republic: the income tax imposed by the Legislative Decree No. 85 of 1949 and its amendments (hereinafter referred to as "Syrian tax").
- 2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

CHAPTER II DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

- 1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term 'India' means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act 1976 (Act No. 80 of 1976), in which India has sovercien rights and to the extent that these rights can be exercised therein as if such maritime zone is a part of the territory of India;
 - (b) the term 'Syria' means the territory of Syria and includes the territorial waters adiacent to and the airspace above it:
 - (c) The term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India of Syria as the context requires:

(d) the term "tax" means Indian tax or Syrian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a chally imposed relating to those taxes;

magnic and a second of the se

- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (f) the term "company" means anybody corporate or any entity which is treated as a company under the taxtation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of Syria, the Ministry of Finance or their authorised representative;
- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in the Contracting State.
- 2. In the application of the provisions of this Agreement by a Contracting State, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 4

FISCAL DOMICILE

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules:—
 - (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");

- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competant authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
- 2. The term "permanent establishment" includes especially:—
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a mine, a quarry, an oilfield or other place of extraction of natural resources;
 - (g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on;
 - (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than twelve months.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:—
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise.
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless the activities of such person are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.
- 7. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establisment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits oil wells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

THE STATE OF THE S

- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immorable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State. However, if the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishmest situated therein the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting States but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. This is without prejudice to the right of taxation of such profits by the first-mentioned Contracting State according to its tax laws.
- 2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. Where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment cannot be determined or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.
- 3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions reasonable expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
- 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method

ar by year unless there is good and sufficient rean to the contrary.

6. Where income or profits include items of income nich are dealt with separately in other Articles of is Agreement, then the provisions of those Articles all not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting ate from the operation of aircraft in international affic shall be taxable only in the Contracting State which the place of effective management of the iterprise (that is, the head office) is situated.
- 2. The provisions of paragraph shall also apply to share of profits from the operation of aircraft in iternational traffic derived by an enterprise of a ontracting State through participation in a pool, a pint business or an international operating agency.
- 3. For the purposes of this Article, interest on ands connected with the operation of aircraft in iternational traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the rovisions of article 12 shall not apply in relation o such interest.
- 4. The term "operation of aircraft" shall mean usiness of transportation by air of persons and heir luggage, livestock, goods or mail, carried on by ne carriers or lessees or charterers of aircraft, inluding the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of ircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting. State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Contracting State n which the place of effective management of the enterprise (that is, the head office) is situated.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to a share of profits from the operation of ships in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a Pool, a joint business or an international operating agency.
- 3. Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall not be taxable in the first-mentioned Contracting State.
- 2. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other income which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State indepedent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.
- 4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits even if the dividends paid or the distributed profits consists wholly or partly of profits or income arising in that other State.

Article 12 INTEREST

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 7.5 per cent of the gross amount of the interest.

- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or a local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any agency wholly owned by that Government or local authority shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State. The competent authorities of the Contracting State may determine by mutual agreement any other Government institution to which this paragraph shall apply.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as other income assimilated to income from money lent by the taxation laws of the Contracting State in which the income arises.
- 5. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Government of that Contracting State or a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 7. Where, owing to special relationship between the payer and the recipient on between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
- 8. For the purposes of this Article and Article 13, the term "Government" shall include, in the case of India, any State Government.

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

- ph 2. However, such royalties may also be taxed the Contracting State in which they arise and according to the law of that State, but the tax so charge shall not exceed 10 per cent of the gross amount the royalties.
 - 3. The term "royalties" as used in this Artic means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting) any patent, trac mark, design or model, plan, secret formula, or process,, or for the use of, or the right to use industrial commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
 - 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 sha not apply if the recipient of the royalties, being resident of a Contracting State carries on busines in the other Contracting State in which the royaties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situate therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected wit such permanent establishment or fixed base. It such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.
 - 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Governmen of that Contracting State or a local authority or a tesident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
 - 6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

- 2. Gains from the alienation of movable property orming part of the business property of a permanent stablishment which an enterprise of a Contracting tate has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Conracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the aleination of ships or aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.
- 4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in that State.
- 5. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer, or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless:
 - (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
 - (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar

remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or period; not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised:

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purpose of this Article, the term "Government" shall include any local or statutory authority of either Contracting State and, in the case of India, any State Government also,

GOVERNMENT FUNCTIONS

- 1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a citizen of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.
- 2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual who is a citizen of either of the two Contracting States shall be taxable only in the Contracting State which is paying the pension.
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.
- 4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Central Bank of Syria. In the case of India, it shall also include any State Government.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

- 1. Any pension (other than a pension referred to in Article 19) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.
- 2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
- 3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

STUDENTS AND APPRENTICES

- 1. A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:
 - (a) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training; and
 - (b) remuneration from employment in that firstmentioned Contracting State, in an amount not in excess of Rs. 15,000 or its equiva-

lent in Syrian currency during any "pre ous year" or the "year of income", as t case may be, provided that such emplement is directly related to his studies or undertaken for the purpose of his mai tenance.

The second of the second second second of the second of th

2. The benefits of Article shall extend or for such period of time as may be reasonable or cu tomarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individu have the benefits of this Article for more than freensecutive years from the date of his first arrival the first-mentioned Contracting State.

Article 22

PROFESSORS AND TEACHERS

- 1. A professor or teacher who visits a Contracting State for the purpose of teaching or engaging research, or both, at a university, college, school cother approved institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding 12 months from the date of his arrival in that Contracting State.
- 2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefits of a specific porson or persons.
- 3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of ir come", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".
- 4. For purpose of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Costracting State.

Article 23

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that State.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting State shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

- 2. Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Syria, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income-tax paid in Syria, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Indian tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Syria. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction aforesaid shall be allowed in the first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.
- 3. For the purposes of the deduction referred to in paragraph 2, "income-tax paid in Syria" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Syrian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax granted for that year under .—
 - (i) the Legistative Decree 103 of 1952 regarding exemption of new industrial projects or Article 9 of Law No. 44 of 1959 regarding relief to contractors engaged in development projects during the period of execution, so far as the aforesaid Legistative Decree and Article were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
 - (ii) any other provision which may be enacted after the fifth day of March, 1982 granting a deduction in camputing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.
- 4. Where a resident of Syria derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Syria shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income-tax paid in India, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Syrian tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in India.
- 5. For the purposes of the deduction referred to in paragraph 4, "income-tax paid in India" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax granted for that year under:
 - (i) sections 10(4), 10(4A), 10(6)(viia), 10 (15)(iv), 10(28), 10A, 32A, 33A, 35P, 54E, 80HH, 80HHA, 80-1, 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been 360 GI/85-3

- modified since, the date of the signature of this Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character, or
- (ii) any other provision which may be enacted after the fifth day of March, 1982 granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of the economic development, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.
- 6. Where under this Agreement a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Agreement had not been so exempted.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS

Article 25

NON-DISCRIMINATION

- 1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.
- 3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly of partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.
- 5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

- 1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwith-standing the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracing State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Aricle 27

EXCHANGE OF INFORMATION

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of evasion of taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or other authorities) concerned with the assessment, collection, coforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or the persons with respect to whom the information or document relates.
- 2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documests which shall be furnished on a routine basis.

- 33. In no case shall be the provisions of paragraph I be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information or documents which would disclose any trade business, industrial commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement, The Agreement shall enter into force on the date of the latter of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) In India:

- (i) in the case of profits derived from operation of aircraft (referred to in Article 8), as respects such profits as are derived after the first day of April, 1975;
- (ii) in the case of any other income, as respects income assessable for any assessment year commencing on or after the first day of April, 1983.

(b) In Syria:

- (i) in the case of profits derived from operation of aircraft (referred to in Article 8) as respect such profits as are derived after the first day of April, 1975:
- (ii) in the case of any other income, as respects income assessable for any assessment year commencing on or after the first day of January, 1983.

TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to be effective:

- (a) in India, in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years;
- (b) in Syria, in respect of income assessable for any assessment year commencing on the 1st day of January in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done on this Sixth day of February one thousand nine hundred and eighty four in New Delhi on two original copies each in the Arabic, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall be the operative one.

Sd/-

PRANAB MUKHERJEE

For the Government of India

Sd/-

Dr. HAMDI-AL-SAQA

For the Government of the Republic of Syria.

[F. No. 501/1/75-FTD] M. S. NARAYANAN, Addl. Secy.